बिहार सरकार

उद्योग विभाग

सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

शुद्धि पत्र

उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3513, दिनांक–01.09.2015 के कंडिका–04 को निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है, तद्नुसार इसे इसप्रकार पढ़ा जाय :–

स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें। जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त अग्रिम के रूप में राशि की निकासी कर बैक ड्राफ्ट के माध्यम से उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के चालू खाता जो भारतीय स्टेट बैंक, वेली रोड, पटना में है, को उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी BTC-26 पर की जायेगी।

2. राज्यादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगें।

3. प्रस्ताव पर विभगीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../ पटना,दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

प्रतिलिपि.–महालेखाकार (ले0 एवं हक0), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../ पटना,दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../ पटना,दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

प्रतिलिपि.–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../ पटना,दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

प्रतिलिपि.–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इन्दिरा भवन, रामचरित्र पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक....1203...../ पटना,दिनांक...21.3.16...
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/~~आई~~0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 3513 /

पटना, दिनांक 01.9.15

सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रर्दशनी)–05/14

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:– **राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी की योजना का वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹70.00 (सत्तर) लाख अनुमानित व्यय की स्वीकृति के सम्बंध में।**

...औपचारिक ...से ...परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–322, दिनांक–28.01.15 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी की योजना का वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹70.00 (सत्तर) लाख अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना अन्तर्गत राज्य के लघु उद्योग/शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के ऐतिहासिक/धार्मिक स्थानों पर मेला/प्रदर्शनी लगाने हेतु एवं राज्य के बाहर राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में स्टॉल/स्पेस लेकर उत्पाद की बिकी/प्रदर्श हेतु इस स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष–मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड P–2851001040101, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5442, विषय शीर्ष 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में यथेष्ट उपबंध है।

4. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी एकमुश्त अग्रिम के रूप में उद्योग मित्र, निचला तल, इंदिरा भवन, रामचरित्र पथ, पटना के पी0एल0 खाता के प्राप्तियॉ शीर्ष–0039–(k–8448001200039) में उपलब्ध करायेगें। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, निचला तल, इंदिरा भवन, रामचरित्र पथ, पटना इस राशि का व्यय समय--समय पर उद्योग निदेशक बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

5. इस योजना के मुख्य नियंत्री, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/मूल प्रमाणक प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर डी0 सी0 विपत्र में राशि का समायोजन हेतु प्रतिवेदन महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगें।

6. स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5442 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे।

D drive_super_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16---------12

क्रमशः पृष्ट–02 पर....

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0, दिनांक–20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

8. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रर्दशनी)–05/14 के पृष्ट–15/टि0 पर दिनांक 30.06.15 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या–1833/IDC दिनांक 29.06.15 है।

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रर्दशनी)–05/14 के पृष्ट–24/टि0 पर दिनांक 25.08.15 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या– 230/OSD, दिनांक 25.8.15 है।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त राशि की अग्रिम निकासी हेतु शिथलीकरण के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतू प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 27/08

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3513 /
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रर्दशनी)–05/14

पटना, दिनांक 01.9.15

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27/08

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3513 /
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रर्दशनी)–05/14

पटना, दिनांक 01.9.15

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27/08

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3513 /
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रर्दशनी)–05/14

पटना, दिनांक 01.9.15

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27/08

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।